

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

नाम: दौलत खानो  
 वनाम: अब्दुल रहमान  
 मुकदमा: 7-1  
 मु. नं.: 54/2023 वर्ष

आज्ञा - पत्र

9<sup>10</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष  
 हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य  
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक...24.10.24 को पेश हों

24<sup>10</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष  
 हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य  
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक...6.11.24 को पेश हों

6<sup>11</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष  
 हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य  
 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक...19.11.24 को पेश हों

19<sup>11</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित।  
 पत्रावली से सम्बंधित मूलवाद के अतिरिक्त निर्णय  
 व डिप्टी फिमा भा घुमा है इसलिए आवेदन अधिनियम  
 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं है।  
 अतः पत्रावली व आवेदन रद्दगिर्ज फिमा भाता  
 है। पत्रावली मैसल सुमा घुमा रद्दगिर्ज से फसल  
 काखिल दफ्तर है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 19/11/24 को मेरे द्वारा  
 मुले न्यायालय के सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

